राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 905/2012/श्रीगंगानगर.

मैसर्स रिफेयर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन, श्रीगंगानगर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राज़कीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03/10/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 65/आरवैट/श्रीगंगानगर/2011–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 06.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 09.02.2011 में आरोपित कर एवं ब्याज राशि रूपये 3,08,625/– की पुष्टि की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदार के रूप में पंजीकृत व्यवसायी है जिसके द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य के भीतर विभिन्न गैरिसन इंजीनियर के कार्यादेशों के अनुसार कार्य किया गया एवं संविदा कार्य हेतु उपयोग में लेने हेतु राज्य के बाहर से माल का आयात किया गया था जिसका हस्तान्तरण संविदा कार्य में होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त कर योग्य माल की बिक्री राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 2(35)(ii) के अनुसार डीम्ड सेल होने से करारोपण किया गया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी द्वारा खारिज की गई जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा जो संविदा कार्य किया गया है वह राज्य के बाहर स्थित अवार्डर का कार्य होने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **त्रिवेणी इंजीनियरिंग 26 टैक्स वर्ल्ड 241** के प्रकरण के दिये गये निर्णय में दिये गये सिद्धान्त अनुसार अपीलार्थी पर संविदा कार्यों में माल के हस्तान्तरण पर कर का आरोपण नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कथन किया कि उनके द्वारा माल के आयात के लिये घोषणा पत्र वैट–47 प्रस्तुत करने एवं घोषणा पत्र 'सी' जारी करने से विक्रय के

लगातार.....2

बिन्दु का विनिश्चय नहीं किया जा सकता एवं इस तरह अन्तर्राज्यीय खरीद किये गये माल का उपयोग संविदा कार्य में करने पर करारोपण किया जाना विधि के विरूद्ध है। इस आधार पर अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का समर्थन किया गया।

5. प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से विवाद इसी बिन्दु पर किया गया है कि अपीलार्थी ठेकेदार कम्पनी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है एवं ठेका भी दिल्ली मुख्यालय को आवंटित किया गया था, जिसके द्वारा माल खरीदकर ठेके में प्रयुक्त किया गया है अतः इस पर राज्य के भीतर संविदा कार्य में प्रयुक्त माल पर करारोपण नहीं किया जा सकता। इस तर्क के समर्थन में **मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग 25 टैक्स वर्ल्ड 241** में दिये गये निर्णय को प्रस्तुत किया गया, जिसमें ठेके में प्रयुक्त उस माल पर करारोपण नहीं किया जाना निर्णीत किया गया था जो माल राज्य के बाहर से खरीद किया जाता है। अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय के **मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग** के निर्णय का पूर्ण विवेचन करते हुए यह निर्णय किया है कि उस मामले में ठेकेदार द्वारा माल की सीधी सप्लाई अवार्डर को की गयी थी एवं अवार्डर द्वारा ही घोषणा पत्र वैट—47 प्रेषित किये गये थे इस तरह ठेकेदार द्वारा राज्य के बाहर से स्वयं द्वारा माल प्राप्त कर उसका निस्तारण राज्य के भीतर नहीं किया गया था जबकि इस प्रकरण में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा स्वयं ने माल का आयात राज्य के बाहर से घोषणा पत्र वैट—47 एवं 'सी' फॉर्म के उपयोग के साथ स्वयं ने प्राप्त किया है, तत्पश्चात् उस माल का निस्तारण अवार्डर के लिये किये गये संविदा कार्यों में प्रयुक्त करते हुए किया है। इस तरह अपीलार्थी द्वारा ठेके के कार्य में माल का हस्तान्तरण अवार्डर को किया गया है वह राज्य के भीतर माल प्राप्त कर राज्य के भीतर किया गया है जो अधिनियम की धारा 2(35)(ii) के अनुसार विक्रय की परिभाषा में सम्मिलित है। अधिनियम की धारा 2(35)(ii) के तहत विभिन्न प्रकार से माल के हस्तान्तरण को विक्रय होना परिभाषित किया गया है जिसमें माल के सीधे विक्रय अथवा संविदा कार्यों में प्रयुक्त माल के हस्तान्तरण को विक्रय की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। विद्वान अभिभाषक द्वारा **त्रिवेणी इंजीनियरिंग** के निर्णय का जो हवाला दिया गया है वह इस प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त प्रोद्धरित निर्णय में राज्य के बाहर की गयी संविदाओं को डीम्ड विक्रय माना जाने के लिये दिये गये स्पष्टीकरण को निरस्त किया गया था एवं उस मामले में पुनः कर निर्धारण हेतु

लगातार.....3

प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था। अर्थात् त्रिवेणी इंजीनियरिंग में राज्य के बाहर किये गये करारोपण एवं वहां से सीधे माल की सप्लाई अवार्डर को किये जाने की स्थिति में करारोपण विवादित था जबकि इस प्रकरण में माल का आयात स्वयं अपीलार्थी द्वारा किया जाकर राज्य के भीतर उसकी डिलीवरी प्राप्त कर उसका निस्तारण संविदा कार्य के लिये किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा **अपील संख्या 2259/2007/भीलवाड़ा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा बनाम राकेश कंस्ट्रक्शन कम्पनी, भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 17.2.2009; अपील संख्या 717/2008/जोधपुर निर्णय दिनांक 11.4.2013; अपील संख्या 26/2008/बाड़मेर वाणिज्यिक कर अधिकारी, बाड़मेर बनाम भवन पथ निर्माण निर्णय दिनांक 25.11.2011 एवं 45 टैक्स अपडेट 264 मेघराज गहलोत** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश विधिसम्मत होने से उसकी पुष्टि की जाती है एवं अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

31/5/20

(के. एल. जैन)
सदस्य